पत्रांक– 8/वि०3–06/2025......12......

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 28/04/2026

"औपचारिक रूप से परामर्शित"

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु राज्य योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि 10,54,00,00,000/–(दस अरब चौवन करोड़) रूपये में से तत्काल 10,50,00,00,000/–(दस अरब पचास करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :– स्वीकृत।

पंचायती राज संस्था/नगर निकाय संस्था अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक, जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित है, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के वेतन का भुगतान किया जाना है।

2. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार, पटना के पत्रांक 5953 दिनांक 26.12.2025 के अनुसार एक माह के वेतन भुगतान हेतु आवश्यक राशि के आधार पर माह अप्रैल 2026 से माह मई 2026 के वेतन भुगतान हेतु जिलावार सूची तैयार किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु राज्य योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि 10,54,00,00,000/–(दस अरब चौवन करोड़) रूपये में से तत्काल 10,50,00,00,000/–(दस अरब पचास करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान किया जाना है।

4. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु राज्य योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि 10,54,00,00,000/–(दस अरब चौवन करोड़) रूपये में से तत्काल 10,50,00,00,000/–(दस अरब पचास करोड़) रूपये मात्र (जिलावार सूची संलग्न) की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2026–27 में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राज्य योजना मद से 10,50,00,00,000/–(दस अरब पचास करोड़) रूपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय व्यय के मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–111–सर्व शिक्षा अभियान, उप शीर्ष–0302–सर्व शिक्षा

अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति, विपत्र कोड–21–2202011110302 पी०एफ०एम०एस० कोड०–3667 के विषय शीर्ष–0302.31. 04–सहायक अनुदान–वेतन मद में कुल उपबंधित राशि 10,54,00,00,000/–(दस अरब चौवन करोड़) रूपये मात्र में से होगा।

6. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस मद में 10,54,00,00,000/–(दस अरब चौवन करोड़) रूपये मात्र का उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध है।

7. वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त कोटि के शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों जो समग्र शिक्षा अभियान से अच्छादित है, के लिए स्वीकृत राशि का आवंटन आदेश उप सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा एवं CFMS के माध्यम से राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित जिलों की कोषागार के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी। आवंटित राशि का लेखा–जोखा जिला कार्यालय द्वारा बिल्कुल अलग रखा जाएगा।

8. चूँकि समग्र शिक्षा अभियान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश तथा राज्य सरकार समानुपातिक राज्यांश की राशि उक्त मद में प्राप्त होती है। उक्त केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने की स्थिति में पहले इस राशि के व्यय के उपरांत ही राज्य निधि की राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सुनिश्चित करेंगे की राशि का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को विधिवत् रूप से करें।

10. उक्त स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार, बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात् राशि की निकासी की जायेगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा उक्त राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रक्रिया के तहत विहित प्रपत्र में (बी०टी०सी० फॉर्म 42A पुनरीक्षित) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 271 के अंतर्गत निकासी की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए विहित प्रपत्र में भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों/पत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी एवं व्यय की जाएगी।

13. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888/वि० दिनांक 03.12.2024 के कंडिका (3) एवं 5 (ख) (ii) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार राशि निर्गत किया जा रहा है।

15. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि के भुगतान में किसी प्रकार अनियमितता पाये जाने पर इसकी सारी जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की होगी।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–8/वि०3–06/2025 के 65/टि० पर दिनांक 28.04.2026 को प्राप्त है।

18. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(ललन कुमार मंडल)

उप सचिव।

ज्ञापांक–8/वि०3–06/2025................../ पटना, दिनांक....................../

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव।

ज्ञापांक–8/वि०3–06/2025................../ पटना, दिनांक–........................./

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सहायक निदेशक (योजना शाखा), शिक्षा विभाग/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा)/प्रशाखा पदाधिकारी–05, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव।

ज्ञापांक–8/वि०3–06/2025–12 पटना, दिनांक–28/04/2026

प्रतिलिपि–प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/I.T. Managerशिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/04/26

उप सचिव।

SL. NO	DISTRICT	ACTUAL AMOUNT माह अप्रैल –मई 2023 के भुगतान हेतु राशि
1	ARARIA	252154005
2	ARWAL	57349564
3	AURANGABAD	267239961
4	BANKA	160030008
5	BEGUSARAI	314254102
6	BHAGALPUR	327146710
7	BHOJPUR	274912193
8	BUXAR	172916410
9	DARBHANGA	308738412
10	E. CHAMPARAN	578292042
11	GAYA	472398156
12	GOPALGANJ	271430729
13	JAMUI	230199128
14	JEHANABAD	134535449
15	KAIMUR	283217689
16	KATIHAR	326267467
17	KHAGARIA	149622379
18	KISHANGANJ	179313057
19	LAKHISARAI	92830370
20	MADHEPURA	259141116
21	MADHUBANI	571204731
22	MUNGER	143888505
23	MUZAFFARPUR	437723572
24	NALANDA	376454398
25	NAWADA	277749948
26	PATNA	411714932
27	PURNIA	289402641
28	ROHTAS	246543049
29	SAHARSA	223244756
30	SAMASTIPUR	379545970
31	SARAN	290058793
32	SHEKHPURA	51634191
33	SITAMARHI	437019945
34	SHEOHAR	44828264
35	SIWAN	311580365
36	SUPAL	239557165
37	VAISHALI	364156037
38	W. CHAMPARAN	291703791
	TOTAL	10500000000

उप सचिव,
शिक्षा विभाग